

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा

जिला झालावाड़ (राज.)

श्रीकेशन

बनाम

नन्दकिशोर

सम मुकदमा



दावा

नं.

384

सन्

2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहंकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
12/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रकरण बाद जॉच सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की। पत्रावली वास्ते इतजार तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 12/01/26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> 11/11/25</p>	
12/01/26	<p>पत्रावली पेश हुई / बहुलाय करिजेन उपखण्ड / प्रति 1 की ओर से Adv श्री विनोद शर्मा उपस्थित / प्रति 2 व 3 कावपूड सम्मन नामील अनुपस्थित / वाडी व प्रति 1 द्वारा राप्ती नामा पेश / शिपू को / वाडी की पहचान Adv श्री MAK ने ल / प्रति 1 की पहचान Adv श्री विनोद शर्मा ने की / प्रति 1 नन्दकिशोर से वाडग्रहण शर्मा ग्राम रूपखेडी खण्ड 78 रकबा 0-5564 haect में से 1/8 भाग की राप्ती वाडी</p>	 <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i></p> 

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

के नाम बेशकल माए मे करने की स्थिति
डी / उक्त राष्मिनामे की उभयपक्ष की उपस्थिति
मे तस्दीक किया गया लेकिन राष्मिनामे के
आधार खातेदारी अधिकारी की घोषणा करने
पर राज्य सरकार की stamp duty and
Registration fees का मुकदमान करित हो सका
है और राष्मिनामे से सरकार (प्रति 3) शामिल
भी नहीं है अतः प्रणाल में खातेदारी नहीं
की जावेगी / प्रति 1 राष्मिनामा अनुसार वाडी
के पक्ष में वाडग्रल खसरे के हिस्से 1/3 की
राष्मिनामे का निममानुसार प्रक्रिया से करना सुनिश्चित
करे / उभयपक्ष वारान को इस आशय ले पाकंड
किया जाता है कि वे कोर्ट में पेश व
तस्दीक राष्मिनामे की पालना समय पर करना
सुनिश्चित करे / पत्रावली इली स्तर पर फैसल
सुमार होकर नम्बर ले कम होकर दाखिल
होती है /



[Signature]
12/01/2026
उपखण्ड अधिकारी
पिढावा, जिला झालावाड़ (राष्मिनामे)